भारत सरकार/**Government of India**
रेल मंत्रालय/**Ministry of Railways**
(रेलवे बोर्ड)/(**Railway Board**)

<u>परिपत्र</u>

विषय :- बोर्ड कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय में अनिवार्य ड्यूटी हेतु उपस्थित होने के लिए प्राधिकार पत्र/पास जारी करना।

कोविड-19 के फैलने से होने वाले ख़तरे को देखते हुए दिनांक 25.03.2020 से 21 दिन की अवधि के लिए सम्पूर्ण लॉक डाउन लागू करने के निर्णय के अनुसरण में, मंत्रालय डीओपीटी के दिनांक 25.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/9/2014-एस्ट.(ए-III) के तहत पुलिस उपायुक्त/नई दिल्ली से अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्राधिकार पत्र /पास प्राप्त कर रहा है ताकि वे अनिवार्य सरकारी ड्यूटी कर सकें।

2 तत्पश्चात गृह सचिव, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों/प्रशासकों को संबोधित दिनांक 03.04.2020 के अ.शा. पत्र सं. 40-3/2020-डीएम-I (ए) के तहत यह निर्णय लिया गया कि रेलवे के अधीन पदामानित अधिकारियों को स्टाफ़ के आवश्यक लोगों को प्राधिकार पत्र/पास जारी करने हेतु अनुमति दी जा सकती है चूँकि कुछ मामलों में ज़िला प्रशासन से पास प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त गृह सचिव, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों/प्रशासकों को संबोधित दिनांक 12.04.2020 के सम संख्यक अ.शा. पत्र द्वारा यह दोहराया गया कि रेलवे को अपने स्टाफ़ एवं ठेके के कर्मचारियों को प्राधिकार पत्र/पास जारी करने हेतु पहले ही प्राधिकृत कर दिया गया है।

3 इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के दिनांक 14.04.2020 एवं 15.04.2020 के आदेश सं. 40-3/2020-डीएम-I (ए) के तहत आदेश जारी किए गए कि देश में कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए जारी किए गए समेकित दिशा निर्देश दिनांक 03 मई, 2020 तक लागू रहेंगे ताकि देश में कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, इन आदेशों के अनुसार, दिनांक 20.04.2020 से इस मंत्रालय के उपसचिवों एवं उससे उच्चस्तर के अधिकारियों को 100% की उपस्थिति के साथ कार्य करना होगा और शेष अधिकारियों एवं कर्मचारियों की 33% उपस्थिति आवश्यकतानुसार होगी।

4 उक्त के मद्देनज़र, बोर्ड कार्यालय के सभी कार्यपालक निदेशकों/संयुक्त सचिवों एवं समतुल्य अधिकारियों को उनके निदेशालय के कर्मचारियों/ठेके के कर्मचारियों को प्राधिकार पत्र/पास जारी करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ताकि वे आवश्यकतानुसार कार्यालय में उपस्थित हो सकें। व्यक्तियों एवं वाहनों का संचलन स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी के मानकों का कड़ाई से अनुपालन के अध्यधीन होगा जैसा कि कोविड-19 के संबंध में अपेक्षित है। जारी किए जानेवाले प्राधिकार पत्र/पास का प्रोफार्मा संलग्न है।

(मनोज कुमार)
निदेशक (जीए)
रेलवेबोर्ड

<u>संलग्न : यथोक्त</u>
सं 2020/जी(एक.)/मेन/मिस./कोविड-19
नई दिल्ली, दिनांक 16.04.2020